समाचार

मास्क न पहनने वालों पर निगम ने लगाया अब तक 29600 रूपये का जुर्माना

(संक्रमण से बचने मास्क पहनना अनिवार्य, निगम इस पर कर रहा कड़ाई से कार्य)

कोरबा 30 अप्रैल 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने सार्वजनिक स्थान व सड़क पर बिना मुंह ढके घूमने वालों पर निगम द्वारा कड़ी नजर रखते हुए लगातार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है, विगत एक पखवाड़े से अधिक समय से यह कार्यवाही निरंतर जारी है तथा निगम के सभी 08 जोन के अंतर्गत लोगों द्वारा मास्क न पहनने वालों पर अब तक 29600 रूपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।

यहां उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके परिपालन में आयुक्त श्री राहुल देव ने एक पखवाड़े पूर्व एक आदेश जारी कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 285 के तहत छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों की स्वीकृति के अधीन नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु निगम क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था तथा निगम के जोन कमिश्नरों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे लगातार इस पर कड़ी नजर रखें तथा मास्क न पहनने वालों पर अर्थदण्ड लगाएं। बिना मास्क पहने घरों से निकलने वालों व सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर बिना मुंह ढके घूमने व आवाजाही करने वाले लोगों पर निगम अमले ने निरंतर नजर रखते हुए अब तक 29600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

सभी 08 जोन में की गई कार्यवाही– निगम के सभी 08 जोन में बिना मास्क पहने घरों से निकलने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही निगम अमले द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत 15900 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 2800 रूपये, कोरबा जोनांतर्गत 2550 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 4550 रूपये, बालको जोनांतर्गत 2500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 800 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 250 रूपये एवं बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले– महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री राहुल देव ने आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, राज्य शासन ने भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, अतः बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकले, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले। उन्होने अपील करते हुए कहा है कि लाकडाउन के दौरान अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें एवं नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा कि जा रहे कार्यो में अपना सहयोग दें।